



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238150
CG-DL-E-17082022-238150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560]
No. 560]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

आय-कर

सा.का.नि.634(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 239(क) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में,—
(1) भाग VIII में, नियम 41 से पहले, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“40छ. धारा 239क के अधीन दावा किया गया प्रतिदाय—(1) धारा 239क के अधीन प्रतिदाय के लिए दावा प्ररूप संख्या 29घ में किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन दावे के साथ, करार की प्रति या धारा 239क में विनिर्दिष्ट अन्य ठहराव होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दावा, स्वयं दावेदार द्वारा या सम्यक् प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।”।

(II) नियम 41 में, उप-नियम (1) में “अध्याय XIX के अंतर्गत” शब्दों और अंकों के बाद “(धारा 239क के अलावा)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतर्विष्ट किया जाएगा।

3. मूल नियम के उपाबंध 2 में, प्ररूप सं0 29ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप सं. 29घ

(नियम 40छ देखें)

काटे गए कर के प्रतिदाय के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 239क के अधीन व्यक्ति द्वारा आवेदन सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

यह आवेदन, काटे गए और केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में संदत्त कर का प्रतिदाय की वांछा करने के लिए भरा जाना है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :--

2. विशिष्टियों का ब्यौरे		
(i)	आवेदनों के ब्यौरे	
	(क) प्रास्थिति (बताएं कि क्या व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, व्यष्टियों का निकाय, कंपनी आदि है।)	
	(ख) आवासीय प्रास्थिति (सुसंगत वर्ष के दौरान निवासी/निवासी, लेकिन मामूली तौर पर निवासी नहीं/अनिवासी)	
	(ग) स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या	
	(घ) ई-मेल आई डी	
	(ङ) मोबाइल संख्या	
(ii)	उस व्यक्ति, जिसका कर काटा गया है, का ब्यौरा :	
	(क) नाम	
	(ख) प्रास्थिति (बताएं कि क्या व्यष्टि, एलएलपी, फर्म, व्यष्टियों का निकाय, कंपनी आदि है।)	
	(ग) स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध है)	
	(घ) ई-मेल आई डी	
	(ङ) मोबाइल संख्या	
	(च) देश, जिसका वह व्यक्ति, जिसका कर काटा गया है, सुसंगत निर्धारण वर्ष में निवासी था	
(iii)	करार के ब्यौरे या अन्य ठहराव (कृपया इस आवेदन के साथ उसकी प्रति संलग्न करें)	
	(क) करार या अन्य ठहराव में हस्ताक्षर की तारीख	
	(ख) तारीख, जिससे करार या अन्य ठहराव प्रभावी होगा	
	(ग) समय अवधि, जिसके लिए करार या अन्य ठहराव प्रभावी हुआ है	

(iv)	संव्यवहार, जिस पर कर कटौती-योग्य नहीं है, किंतु कर काटा गया है, का ब्यौरा				
	(क) संव्यवहार की रकम (भारतीय रूपए में)				
	(ख) संव्यवहार की तारीख				
	(ग) संदाय करने की तारीख				
	(घ) संदाय की रीति (कृपया संदाय के सबूत की प्रति संलग्न करें)				
	(ङ) संव्यवहार की प्रकृति				
(v)	उपरोक्त बिन्दु (iv) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार पर काटे गए कर के ब्यौरे				
	(क) काटे गए कर की रकम (भारतीय रूपए में)				
	(ख) काटे गए कर की तारीख				
	(ग) तारीख, जिस पर काटा गया कर सरकार के खाते में जमा किया गया था				
	(घ) चालान के ब्यौरे				
	क्र.सं.	बीएसआर कोड	सरकार के खाते में जमा करने की तारीख	चालान की क्रम सं.	रकम (रूपए)
(vi)	कृपया स्पष्ट करें कि सुसंगत संव्यवहार में आय पर काटा गया कर अपेक्षित क्यों नहीं था				
(vii)	कृपया स्पष्ट करें, कि क्या समान संव्यवहार पर काटा गया कर सुसंगत पूर्व वर्ष से तीन वर्ष पहले वापस किया गया है ? (यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा दें)			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	(क) सुसंगत निर्धारण वर्ष				
	(ख) संव्यवहार की तारीख				
	(ग) काटे गए कर की रकम				
	(घ) कर प्रतिदाय की रकम				
	(ङ) यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या निर्धारण अधिकारी के आदेश की तारीख (कृपया इस प्ररूप के साथ आदेश की प्रति संलग्न करें)				

(viii)	कृपया अन्य सुसंगत ब्यौरा विनिर्दिष्ट करे (यदि कोई हो)	

मैं, पुत्र/पुत्री..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में संदर्भित आय पर काटे जाने के लिए कोई कर अपेक्षित नहीं था। मैं पुनः घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में जो कहा गया है, वह सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं की हैसियत से इस आवेदन को कर रहा हूँ और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम भी हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या है।

तारीख :

हस्ताक्षर :

स्थान :

पता : ।”।

[अधिसूचना सं. 98/2022/ फा. सं. 370142/33/2022- टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 632(अ) तारीख 17th अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

INCOME TAX

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 239A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (26th Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(I) in Part VIII, before rule 41, the following rule shall be inserted, namely:-

“40G. Refund claim under section 239A.—(1) A claim for refund under section 239A shall be made in Form No. 29D.

(2) The claim under sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of an agreement or other arrangement referred to in section 239A.

(3) The claim under sub-rule (1) may be presented by the claimant himself or through a duly authorised agent.”;

(II) in rule 41, in sub-rule (1), after the words and figures “under Chapter XIX” the brackets, words and figures “(other than under section 239A)” shall be inserted.

3. In the principal rules, in Appendix-II, after the Form No. 29C, the following Form shall be inserted, namely:—

“Form No. 29D

(See rule 40G)

Application by a person under section 239A of the Income-tax Act, 1961 for refund of tax deducted

To

The Assessing Officer,

This application is filed to seek refund of the tax deducted and paid to the credit of Central Government, the particulars of which are as under.

2. Detailed particulars	
(i)	Details of applicant:
	(a) Status (State whether individual, Hindu Undivided Family, Firm, Body of Individuals, Company etc.)
	(b) Residential status (Resident/ Resident but not ordinarily resident/ Non- resident during the relevant year)
	(c) Permanent Account Number or Aadhaar Number
	(d) E-mail ID
	(e) Mobile Number
(ii)	Details of the deductee:
	(a) Name
	(b) Status (State whether individual, LLP, Firm, Body of Individuals, Company etc.)
	(c) Permanent Account Number (if available)
	(d) E-mail ID
	(e) Mobile Number
	(f) Country of which the deductee was a resident in the relevant Assessment Year
(iii)	Details of agreement or other arrangement (Please attach a copy of the same with this application)
	(a) Date of signing the agreement or other arrangement
	(b) Date on which the agreement or other arrangement came into effect
	(c) Time Period for which the agreement or other arrangement is effective
(iv)	Details of transaction on which tax not deductible has been deducted
	(a) Amount of transaction (in INR)
	(b) Date of transaction
	(c) Date of payment made
	(d) Mode of payment (Please attach a copy of proof of payment)
	(e) Nature of transaction
(v)	Details of tax deducted on transaction specified in point (iv) above
	(a) Amount of tax deducted (in INR)
	(b) Date of tax deduction
	(c) Date on which the tax deducted was deposited in Government Account
	(d) Details of challan

	S.No.	BSR Code	Date of deposit in Government Account	Serial number of challan	Amount (Rs.)
(vi)	Please explain why no tax was required to be deducted on the income in the relevant transaction				
(vii)	Please state whether tax deducted on similar transaction has been refunded in 3 years prior to the relevant previous year? (If yes, please give the following details)			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(a) Relevant Assessment Year				
	(b) Date of transaction				
	(c) Amount of tax deducted				
	(d) Amount of tax refunded				
	(e) Date of order of Commissioner (Appeals) or the Assessing Officer, as the case may be (Please attach copy of order with this form)				
(viii)	Please specify other relevant details (if any)				

I,....., son/ daughter of..... do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and truly stated. I declare that no tax was required to be deducted on the income referred to in this form. I further declare that what is stated in this application is correct. I also declare that I am making this application in my capacity as and I am also competent to make this application and verify it. I am holding Permanent Account Number or Aadhaar Number

Date:

Signature:

Place:

Address: ..".

[Notification No. 98/2022/F. No. 370142/33/2022-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : The principal rules were published *vide* notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 632(E), dated the 17th August, 2022.